न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 27/2019

हरभजन सिंह उर्फ भजन सिंह पुत्र किशन सिह जाति लवाना सिख निवासी मौहल्ला तहसील श्री करणपुर हाल आवाद वार्ड नं. 8 पुरानी आवादी श्री गगानगर ।

--वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 19/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12एच की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता स. 54/50 के मु.न. 33 की 2.353 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम भजन सिह पुत्र किशन सिह जाति लवाना सिख राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट में वादी का वास्तविक नाम हरभजन सिंह पुत्र किशन सिह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत मौहल्ला के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम हरभजन सिह उर्फ भजन सिह के नाम से जाना जाता है। चक 12 एच की जंमाबन्दी में वादी का नाम भजन सिह दर्ज होने के कारण वादी की कृपि ऋण की लिमिट बैंक द्वारा नही बनाई जा रही है। वैंक पी.एस.वी. श्री गंगानगर के अधिकारियों ने कहा कि कृषि साख ऋण प्राप्त करने के लिए वादी को जमावन्दी में अपना नाम भजन सिह की बजाय हरभजन सिह उर्फ भजन सिह दुरूस्त करवाना जरूरी है। इसलिए वादी को जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना जरूरी है। यही वाद कारण है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 12एच की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता स. 54/50 के मु.न.33 की 2.353 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम भजन सिह के स्थान पर हरभजन सिह उर्फ भजन सिह दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश नही होने पर जवाव स्टेट वन्द किया गया।

बहस सुनी गई वादी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वाद के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 12एच की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता स. 54/50 के मु.न.33 की 2.353 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम भजन सिह के स्थान पर हरभजन सिह उर्फ भजन सिह दर्ज किए जाने के आदेश वावत निवेदन किया है वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट में नाम हरभजन सिंह पुत्र किशन सिंह अंकित है। जमाबन्दी में नाम भजन सिंह अंकित है। वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सवूत के आधार पर वादी

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

हरभजन सिंह उर्फ भजन सिह बनाम राजस्थान सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88आरटीए, 136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्या 27/2019

का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 12एच की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता स. 54/50 के मु.न.33 की 2.353 हैक्टर नहरी भूमि में वादी का नाम भजन सिह के स्थान पर हरभजन सिह उर्फ भजन सिह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य की जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{रीना आर.ए.एस.}
उपखंण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner